फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़

किशोरसिंह बनाम **इन्द्रसिंह**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 212 सन–2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.09.2022	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान /अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा मेघाना के खाता संख्या 178 / 178 की कुल 97.8970हैक्ट भूमि में से गैरसायल संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के नाम 1251 / 97897 हिस्सा भूमि दर्ज है की रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाई रखी जावे अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा एवं यह स्थगन आदेश खाला एवं रास्ता की भूमि पर लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली दिनांक 15.11.2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
15/11/22	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दि० 2/12/22 को पेश हो।	
2/12/22	वकील सायल हाजिर। गैर सायलान की तलबी हेतु रजि. सम्मन पेश नहीं किए। आगामी पेशी पर [illegible] रजि. सम्मन [illegible] जारी [illegible] तारीख दिनांक [illegible]	
23/01/23	वकील प्रार्थी ने [illegible] निवेदन किया कि हमारा राजीनामा हो चुका है। [illegible] आज की तारीख पेशी में ली जाकर खारिज की जावे। प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर शुमार कम हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 12:23:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner